हरिभूमि
epaper.haribhoomi.com
Madhyanchal Bhoomi - 07 Aug 2025 - Page 1

खबर का असर: हाईकोर्ट की सख्ती और विधायक के पत्र के बाद शासन का बड़ा निर्णय

कुत्ते का जूठा भोजन परोसने के मामले में 3 शिक्षक निलंबित, तीन की रोकी वेतन वृद्धि

हरिभूमि न्यूज ▶▶ बलौदाबाजार

जिले के पलारी विकासखंड के लच्छनपुर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में 28 जुलाई को बच्चों को कुत्ते का जूठा मध्यान्ह भोजन परोसने के मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर दीपक सोनी के प्रस्ताव और जांच प्रतिवेदन के आधार पर कुल तीन जिम्मेदार शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। जांच में पाया गया कि रसोइयों द्वारा तैयार सब्जी को आवारा कुत्ते द्वारा जूठा किए जाने के बावजूद भोजन बच्चों को परोसा गया। घटना को दबाने का प्रयास करते हुए बच्चों को गुपचुप तरीके से एंटी रेबीज टीके लगाए गए। इसे गंभीर लापरवाही और सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन मानते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई।

■ लच्छनपुर विद्यालय में लापरवाही उजागर

लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त: शासन

गौरतलब है कि इस मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया था। बच्चों को रेबीज का टीका लगाए जाने की जानकारी पर विधायक संदीप साहू ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और विशेष जांच दल गठित करने की मांग की थी। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए शिक्षा सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। सरकार ने यह संदेश दिया है कि बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या तथ्य छुपाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इनपर हुई कार्रवाई

निलंबित शिक्षकों में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लच्छनपुर के प्रभारी प्राचार्य संतोष कुमार साहू, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लच्छनपुर के प्रभारी प्रधानपाठक नेतराम गिरि और शिक्षक एलबी वेदप्रकाश पटेल शामिल हैं। साथ ही घटना को छुपाने में सहयोग करने वाले शिक्षक एलबी रविलाल साहू, एलबी नेमीचंद बघेल और एलबी नामप्यारी ध्रुव की आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई है।